राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	671/2024 जगदीश बनाम रुडा हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/11/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/11/2025 को पेश हो।	
26/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरार हक़ बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20/05/2024 पारित करते हुये विवादित आराजीयात के सन्दर्भ में प्रार्थी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही होना धारित करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि मूल वाद ईस्तकरार हक़ एवं विभाजन का है। ऐसी स्थिति में यदि विधिवत मूल वाद के निस्तारण से पूर्व विवादग्रस्त भूमि का अन्यत्र बैचान/हस्तान्तरण हो जाता है अथवा उसे कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तन किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर पेचीदगीया उत्पन्न होना जाहिर होता है, जिसे रोका जाना न्यायहित में आवश्यक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त उद्धरित तथ्यों से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी अपीलार्थी के पक्ष में जाहिर होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ही पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20/05/2024 को निरस्त कर ता-फैसला मूल वाद उभयपक्ष को ग्राम मामटोरी कलां तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर स्थित विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 367/0.36, 375/0.09, 376/0.23 किता 3 रकबा 0.66 हैक्टेयर हाल आराजी खसरा नम्बर 358/0.26, 359/0.60, 364/0.43, 356/0.08, 366/0.16, 368/0.09, 372/0.04, 376/0.35, 377/0.13, 380/0.80, 381/0.39, 382/0.17, 383/0.47, 384/0.10, 385/0.05, 386/0.39 किता 16 रकबा 4.51 हैक्टेयर व हाल आराजी खसरा नम्बर 522/0.10, 523/0.13, 524/0.2, 525/0.30, 526/0.23, 528/0.51, 829/0.22, 530/0.56, 531/0.33, 532/0.71 किता 10 रकबा 3.11 हैक्टेयर की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी	